सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 427
08/06/2018

दिव्यांगों के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय तत्पर

पटना, 08 जून 2018 ::–दिव्यांगों के विकास के लिए सरकारी कार्यक्रमों के अधीन निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय तत्पर है।आज संवाददाता सम्मेलन के दौरान राज्य आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने अपने संबोधन में ये बातें कहीं। आगे इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले में दिव्यांगजन की स्थिति की समीक्षा हेतु उनके द्वारा दि0 02 से 03 मई तक भ्रमण किया गया और वहां 500 से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया। गत दिनों मधुबनी में चलंत न्यायालय में कुल 668 लाभार्थियों में से 184 का प्रमाण पत्र ऑनस्पॉट बनाया गया तथा शेष की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बिंदुवार तमाम कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार दी :–

<u>निर्धारित लक्ष्य</u>

(क) विकलांगों से सम्बन्धित 268 मामलों का तत्काल ई–लाभार्थी साईट पर जाँच कर समाधान किया गया।

(ख) तिपहिया गाड़ी 33 आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(ग) वैशाखी के लिए प्राप्त 63 आवेदनों पर प्राप्त आवेदनों पर तत्काल प्रखण्डों से बात कर यंत्र दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। इंदिरा आवास हेतु लाभुकों से 35 आवेदन लेकर सम्बन्धित स्टॉल पर जमा किया गया।

(घ) रोजगार के लिए 19 आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ऋण दिलाने का नियम एवं शर्त बताया गया।

(1) दिनांक–10.06.2018 से 12.06.2018 तक राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा बेतिया जिले में चलन्त न्यायालय का आयोजन किया गया।

(2) राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा पटना जिला अंतर्गत दिव्यांगता प्रक्षेत्र में कार्यरत शिक्षण संस्थान बिहार नेत्रहीन विद्यालय, कदमकुँआ के द्वारा निरीक्षण किया गया–(प्रोसेडिंग)

(3) दिव्यांगता अनुसंधान के लिये राज्य स्तरीय समिति गठन करने के लिये निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को निदेश दिया गया।

(4) उत्कृट खिलाड़ियो के चयन में 4 प्रतिशत आरक्षन का लाभ देते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए समान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक अनुरोध किया गया तथा गठित चयन समिति में दिव्यांग विशेषज्ञ को नामित करने का भी राय दिया गया।

(5) सभी विभागों के द्वारा नोडल पदाधिकारी के साथ दिनांक–09.05.18 को राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय कक्ष में बैठक – दिव्यांग प्रक्षेप में राज्य संचालित योजनाये के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक–09.05.18 को (i) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा (2) निदेशक, दिव्यांगजन (3) समाज कल्याण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी (4) वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम के साथ एक बैठक आयोजन किया गया।

(6) दिनांक–21.05.18 को सभी विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ राज्य आयुक्त नि:शक्तता के कार्यालय कक्ष में बैठक:–सभी विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ राज्य आयुक्त नि:शक्तता बैठक का आयोजन कर दिव्यांगजन अधिनियम 2016 एवं बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 में किये गये प्रावधानों की जानकारी दी तथा उक्त प्रावधान के आलोक में सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने निदेश दिया। इसपर सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन का आवश्यक आश्वासन दिया।

(i) स्वास्थ्य विभाग – स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगजन के हेल्थकेयर दिव्यांगता प्रमाणीकरण का साथ ही नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा आदि विषयों पर कार्रवाई की चर्चा की गयी।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग – सामान्य प्रशासन विभाग के नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया की दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन सभी नियुक्ति में सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाए। साथ–ही–साथ यह भी बताया गया कि नि:शक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण न भरी रिक्तीयों का बैकलॉग किया जाए साथ–ही–साथ दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन में उच्चतर आयु सीमा का शिथिलिकरण का भी प्रावधान करें।

(iii) युवा कला एवं संस्कृति विभाग – इनके नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा में यह बताया गया की दिव्यांग खिलाड़ीयों संभावित प्रतिभा सार्म्थ्य योग्यता बढ़ाने तथा तकनीकी विकास और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराये साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रैक्टिश के स्थान मुहैया कराने के साथ–साथ अन्य सारी सुविधायें जो एक सामान्य खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। वह सुविधा दिव्यांग खिलोड़ियों को भी प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्यत करें साथ ही खिलाड़ियों के लिय इन्फास्ट्रक्चर एवं अधारभूत संरचना का भी विकास करें दिव्यांग खिलाड़ियो के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार आदि के बारे में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(iv) भवन निर्माण विभाग – भवन निर्माण विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा के क्रम में यह बताया गया की सभी सरकारी भवनों स्थानों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिविर/जिला अस्पताल,विद्यालय,रेलवे स्टेशन,बस अड्डों के पास सभी आवश्यक सेवा प्रदान करते हुए सभी सरकारी भवनों में रैम्प का निर्माण करवाये और अनुकूल शौचालय की भी व्यवस्था करायें।

(v) पथ निर्माण विभाग – पथ निर्माण विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्ष मे बताया गया की बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर नि:शक्त व्यक्तियों के लिये सुविधा प्रदान करें पार्किग स्थलों प्रसाधनों,टिकट पटलों और टिकट मशीनों तक सुगम पहूँच पथ का निमार्ण करे साथ–ही–साथ दृष्टिहिनियों सड़क पर लालबती, श्रवण संकेत का प्रतिष्ठापन/शारीरिक विकलांग के व्हीलचेयर सड़क के किनारे काटना पटरियों पर ढलान बनाना सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण कराना और रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे उत्कीर्ण कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(vi) उद्योग विभाग – उद्योग विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा में बताया गया की नि:शक्त व्यक्तियों को रियाती दरों पर ऋण और

समर्थनकारी नियोजन सहित स्कीमों और कार्यक्रमों को लागू करेगी साथ–ही–साथ नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा बनाये गये उत्पादों का विपन्न का भी व्यवस्था करेंगी।

(vii) बिहार राज्य शिक्षा योजना परिषद – शिक्षा परियोजना परिषद से आये नोडल पदाधिकारी को बताया गया की प्रखंड,जिला तथा राज्य स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनके लिए आयोजित टी ई टी परीक्षा में विकलांगों के लिये निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय – दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के नोउल पदाधिकारी को यह जानकारी दी गई यह नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र/कृत्रिम अंग निर्माण कराकर वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें गंभीर रुप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए संस्था खोलने तथा दिव्यांगजनों की नि:शक्तता पेंशन तथा उनके नि:शक्ता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबित मामलों का चरणबद्ध तरीके से शिविर लगाकर निश्पादन करें।

(ix) बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग – बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के समीक्षा में यह बताया गया की आयोग से जो भी रिक्तियॉ प्रकाशित की जाती उसमें दिव्यांगों के लिये निर्धारित आरक्षण का ध्यान रखा जाए।

(x) बिहार लोक सेवा आयोग – बिहार लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा के क्रम में बताया गया की आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है उसमें दिव्यांगो के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन कर विज्ञपान प्रकाशित किया जाए।

(xi) पटना नगर निगम – पटना नगर निगम के नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षा में बताया गया की पटना नगर निगम के सड्को के किनारे गढ्ो को भरा जाए जिससे की दिव्यांगो के चलने में कोई कठिनाई न हो। इसके साथ ही यह भी बताया गया की नगर निगम द्वारा जो भी स्किम, कार्यक्रम बनाया जाता है उसमें दिव्यांगो की सुविधा का ख्याल रखा जाए।

(1) स्वयंसेवी संस्थाओं की निबंधन की संख्या–04 (चार) पहली बार पाँच वर्षो के लिए

(2) गैरसरकारी स्वयं संस्थाओं की जॉच को भेजे गये निदेशों की संख्या–40

(3) परिवाद निष्पादन की संख्या–18